25.6.18

प्रार्थनी आज स्वयं कोई वकालतनामा में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण के संबंधित वादपत्र का निस्तारण हो चुका है इसलिए प्रस्तुत प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थनी पीठासीन सुकरार होकर नम्बर के कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अ

उदयपुरवाटी